न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/114/2024 रजू दिनांकः 29.08.2024 रजि0 न0 2024/210

अपीलार्थीः–

श्री महेश मीना पुत्र रामजीलाल, ग्राम–खेडी रामला, पो. ठिकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा–303509 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.09.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/1833 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांक 16.04.2024 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने/विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने बाबत सूचित किया है। प्रश्नगत आवेदन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रा0 पत्र दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि जरिये प्रकरण संख्या 12/83/2024 निर्णय दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से खारिज की जाकर निस्तारित की जा चुकी है। इस प्रकार एक ही विषयवस्तु पर अपील पुनः श्रवण योग्य नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रा0 पत्र दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से अपील प्रस्तुत की जा चुकी है, उक्त अपील को न्यायालय हाजा द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 12/83/2024 निर्णय दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से खारिज कर निस्तारित की जा चुकी है। एक ही विषयवस्तु पर अपील पुनः श्रवण योग्य नहीं है। प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/1834 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में सूचना व अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)